भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3091

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

28 फाल्गुन, 1946 (शक)

डीपफेक की चुनौतियां

3091. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को साइबर सुरक्षा कंपनी मैकेफी द्वारा किए गए सर्वेक्षण की जानकारी है, जिसमें बताया गया है कि 75 प्रतिशत भारतीयों ने किसी न किसी रूप में डीपफेक सामग्री देखी है और कम से कम 38 प्रतिशत डीपफेक घोटाले का शिकार हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने डीपफेक सामग्री और घोटाले के मुद्दे को हल करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने डीपफेक सामग्री और घोटालों की पहचान करने और उनसे बचाव के बारे में जनता को सूचित करने के लिए जागरूकता अभियान या शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार डीपफेक से जुडे जोखिमों को कम करने के लिए विधायी ढांचा या नियामक उपाय शुरू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत सरकार 'सभी के लिए एआई' की अवधारणा पर जोर देती है, जो माननीय प्रधानमंत्री के प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई समाज के सभी क्षेत्रों को लाभान्वित करे, जिससे नवाचार और विकास को बढ़ावा मिले।

सरकार स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में हमारे लोगों की भलाई के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, **सरकार एआई द्वारा उत्पन्न जोखिमों और एआई को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता से** अवगत है। केंद्र सरकार ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक सार्वजनिक परामर्श के बाद 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021

("आईटी नियम, 2021") अधिसूचित किया है, जिसे बाद में 28.10.2022 और 6.4.2023 को संशोधित किया गया। सरकार मौजूदा कानून में आवश्यक बदलावों और नए कानून पेश करने की आवश्यकता के संबंध में जनता और हितधारकों से जुड़ती है और उनसे इनपुट प्राप्त करती है। इसने 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") को अधिसूचित किया है, जिन्हें बाद में 28.10.2022 और 6.4.2023 को संशोधित किया गया।

डीपफ़ेक के निर्माण, वितरण और प्रसार से उत्पन्न होने वाले साइबर-सुरक्षा जोखिम और डीपफ़ेक के निर्माण को सक्षम करने वाली प्रौद्योगिकियां जो व्यक्तिगत स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम पैदा कर सकती हैं, उन्हें वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") और उसके नियमों जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") के प्रावधानों द्वारा संबोधित किया जा रहा है, जो डीपफ़ेक जैसे एआई टूल का उपयोग करके कृत्रिम रूप से उत्पन्न किसी भी जानकारी और प्रामाणिक/मूल जानकारी के बीच अंतर नहीं करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 सामूहिक रूप से हानिकारक विषय-वस्तु का लोप करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि इंटरनेट पर उपयोगकर्त्ताओं को इसके खतरों से सुरक्षित रखा जाए जिसमें कृत्रिम रूप से उत्पन्न और स्पष्ट रूप से गलत विषय-वस्तु भी शामिल है।

इसके अलावा, एआई द्वारा संचालित गलत सूचना और डीपफ़ेक के व्यापक प्रसार से उत्पन्न होने वाले नुकसान और आपराधिकता को दूर करने की तात्कालिकता को संज्ञान में लेते हुए, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने पहले डीपफ़ेक का मुकाबला करने में पहचानी गई चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए उद्योग हितधारकों/सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ कई परामर्श किए हैं। **एमईआईटीवाई ने दिनांक 26.12.2023, 15.03.2024 और 03.09.2024 (सामूहिक रूप से "सलाहकार" के रूप में) को** एडवाइजरी जारी की हैं, **जिसके माध्यम से मध्यस्थों को** सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के नियम 3(1)(ख) के तहत उल्लिखित उनके उचित परिश्रम दायित्वों के अनुपालन के बारे में अवगत कराया गया था और **डीपफ़ेक पर अंकुश लगाने और हानिकारक विषय-वस्तु को ऑनलाइन** हटाने के लिए बेहतर अनुपालन हेतु दुर्भावनापूर्ण 'सिंथेटिक मीडिया' और 'डीपफ़ेक' सहित गैरकानूनी विषय-वस्तु का मुकाबला करने की सलाह दी गई थी। इन एडवाइजरी का समग्र उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त जानकारी के साथ सशक्त बनाना है ताकि वे सिंथेटिक मीडिया टूल्स का उपयोग करते समय सूचित निर्णय ले सकें। इन परामर्शों में अन्य बातों के अलावा प्रत्येक मध्यस्थ और मंच को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि उसका कंप्यूटर संसाधन स्वयं या एआई मॉडल/एलएलएम/जनरेटिव एआई, सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम के उपयोग के माध्यम से किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह या भेदभाव नहीं होने देता है या चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को खतरा नहीं पहुंचाता है।

सरकार ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) की अध्यक्षता में **भारत-विशिष्ट विनियामक एआई ढांचे के लिए एआई पर एक सलाहकार समूह का गठन किया है**, जिसमें शिक्षा, उद्योग और सरकार के विभिन्न हितधारक शामिल हैं, जिसका उद्देश्य एआई के सुरक्षित और विश्वसनीय विकास और तैनाती के लिए जिम्मेदार एआई ढांचे के विकास से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करना है।

सरकार ने **डीपफ़ेक से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के उद्देश्य से शिक्षाविदों, उद्योग और सरकार के विभिन्न हितधारकों के साथ डीपफ़ेक** के मुद्दे से संबंधित मामलों पर एक समिति का गठन किया है।

सरकार ने **डीप लर्निंग फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए फेक स्पीच डिटेक्शन** और **डीपफ़ेक वीडियो और इमेज का पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर का डिजाइन और विकास** नामक दो परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है। परियोजना "डीपफ़ेक वीडियो और इमेज का पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर का डिजाइन और विकास" में इंटरनेट के उपयोग के बिना डीपफ़ेक का पता लगाने के लिए **फेकचेक**

नामक एक प्रोटोटाइप टूल विकसित किया गया है। इस टूल को परीक्षण के लिए और आगे के परिशोधन के लिए प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु चुनिंदा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया गया है।
इंडियाएआई मिशन के सुरक्षित और विश्वसनीय स्तंभ के तहत, **एआई प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार विकास, तैनाती और अंगीकार को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत रेलिंग की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट** आमंत्रित किए गए हैं। इनमें वॉटरमार्किंग और लेबलिंग, एथिकल एआई फ्रेमवर्क, एआई रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस टेस्टिंग टूल्स और **डीपफ़ेक डिटेक्शन टूल्स जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विषयों की एक श्रृंखला शामिल है**।

उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों में नवाचार और वृद्धि के साथ, धोखेबाज उपयोगकर्ताओं को धोखा देने और धोखाधड़ी गतिविधियों को संचालित करने के लिए डीपफ़ेक सहित सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों को अपना रहे हैं। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके दुर्भावनापूर्ण हमलों सहित नवीनतम साइबर खतरों/कमजोरियों के संबंध में अलर्ट और सलाह जारी करता है तथा कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा के लिए निरंतर आधार पर जवाबी उपाय करता है। इस संदर्भ में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित अनुप्रयोगों से उत्पन्न होने वाले **प्रतिकूल खतरों को कम करने के लिए सुरक्षा उपायों पर एक सलाह** मई 2023 में प्रकाशित की गई थी। सीईआरटी-आइएन ने **नवंबर 2024 में डीपफ़ेक खतरों और डीपफ़ेक से सुरक्षित रहने के लिए** अपनाए जाने वाले उपायों पर एक एडवाइज़री प्रकाशित की है।

सीईआरटी-आइएन ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित उपयोग और डिजिटल जोखिमों से निपटने के लिए **उपयोगकर्ताओं और संगठनों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए** निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i) सीईआरटी-आइएन नवीनतम साइबर खतरों/सुभेद्यताओं, जिनमें सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग और विशिंग अभियान शामिल हैं, के संबंध में चेतावनी और एडवाइज़री जारी करता है तथा कंप्यूटर, मोबाइल फोन, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा के लिए निरंतर उपाय करता है।

ii) सीईआरटी-आइएन ने नवंबर 2023 में विभिन्न मंत्रालयों को एक परामर्श जारी किया है, जिसमें संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना सहित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा या सूचना का प्रसंस्करण करने वाली सभी संस्थाओं द्वारा साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किए जाने वाले उपायों की रूपरेखा दी गई है।

iii) सीईआरटी-आइएन दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों का पता लगाने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर) संचालित करता है और इसे हटाने के लिए मुफ्त उपकरण प्रदान करता है, और नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियाँ और सर्वोत्तम अभ्यास भी प्रदान करता है।

iv) सीईआरटी-आइएन वित्तीय क्षेत्र से रिपोर्ट की गई साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने, उन्हें रोकने और कम करने के लिए अपने अधीन कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल वित्त क्षेत्र (सीएसआईआरटी-फिन) के संचालन के लिए नेतृत्व प्रदान करता है।

v) उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप और मोबाइल फोन को सुरक्षित रखने और फ़िशिंग हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा युक्तियाँ प्रकाशित की गई हैं।

vi) सीईआरटी-आइएन साइबर हमलों और साइबर धोखाधड़ी के संबंध में जागरूकता और नागरिकों को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित रूप से विभिन्न गतिविधियां चला रहा है। सीईआरटी-आइएन प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के दौरान साइबर सुरक्षा

जागरूकता माह (एनसीएसएएम), प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने के पहले सप्ताह मंगलवार को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, हर साल 1 से 15 फरवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा और प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को साइबर जागरुकता दिवस (सीजेडी) मना रहा है, जिसमें नागरिकों के साथ-साथ भारत में तकनीकी साइबर समुदाय के लिए विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। सीईआरटी-आइएन ने एनसीएसएएम 2024 के दौरान सरकार और उद्योग भागीदारों के सहयोग से प्रश्नोत्तरी, वेबिनार, कैप्चर द फ्लैग इवेंट जैसी कई जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया, जिसका विषय "सतर्क नागरिक, सुरक्षित हमारा विश्व"।

****